राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आज अनावेदक की उपस्थिति हेतु नियत है। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आपराधिक प्रकरण क्रमांक 472/2007 सेन्ट्रल बैंक विरूद्ध रामवीर पुत्र नारायण सिंह में पारित निर्णय दिनांक : 17 / 07 / 2009 के अनुपालन में दस हजार रूपये प्रतिकर में से शेष नौ हजार रूपये की राशि वसूलने के लिए हस्तगत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आपराधिक प्रकरणों की दायरा रजिस्टर के कॉलम नम्बर 09 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आपराधिक प्रकरण क्रमांक 472 / 2007 में आरोपी रामवीर को दिनांक : 30 / 11 / 2013 को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसी दशा में आरोपी के उक्त मूल आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण उसके विरूद्ध प्रतिकर की राशि अदायगी संबंधी हस्तगत एम.जे.सी. को चलाये रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः ऐसी दशा में उक्त अपीलीय प्रकरण में आरोपी रामवीर को दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद